



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 320]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 2, 2012/आषाढ़ 11, 1934

No. 320]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 2, 2012/ASADHA 11, 1934

कोयला मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 14 जून, 2012

सा.का.नि. 525(अ).—भारत के असाधारण राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), दिनांक 10 मई, 2012 में प्रकाशित भारत सरकार, कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 349(अ), दिनांक 10 मई, 2012 में, अंग्रेजी रूपांतर के पृष्ठ 4 पर द्वितीय पैरा में “मद 11” के स्थान पर “मद 10” पढ़ें और “11 कोयला” के स्थान पर “10 कोयला” पढ़ें।

[सं. 28019/1/2009-सीए-II]

ए. के. भल्ला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL

CORRIGENDUM

New Delhi, the 14th June, 2012

G.S.R. 525(E).—In the notification of the Government of India, Ministry of Coal number G.S.R. 349(E), dated 10th May, 2012 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 10th May, 2012 at page 4, in the English version, in the second para for “item 11” read “item 10” and for “11 COAL.” read “10 COAL.”

[No. 28019/1/2009-CA-II]

A. K. BHALLA, Jt. Secy.